राजस्थान–सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर।

क्रमांकः–नर्सिग/नर्स–2(F)/आर–57/2018/ दिनांकः–

आदेश

राखी भाटी, नर्स–2 अधीक्षक, उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर का राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा सत्र 2018–19 में दो वर्षीय पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिग प्रशिक्षण करने हेतु चयन कर राजकीय कॉलेज ऑफ नर्सिंग, डॉ. एस. एन. मेडिकल कॉलेज एण्ड अस्पताल एण्ड एसोसिएट ग्रुप, जोधपुर आंवटित किया गया है, में उपस्थिति दिनांक 29.12.2018 तक प्रस्तुत करनी है।

राखी भाटी, नर्स–2 को निम्न शर्तो के अध्याधीन प्रशिक्षण के लिये नियत उपस्थिति दिनांक से पूर्व कार्यमुक्त करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

1– नियमानुसार स्वयं का अवकाश/अध्ययन अवकाश स्वीकृत कराना होगा।

2– यदि कार्मिका ने पूर्व मे अध्ययन अवकाश का उपभोग किया है तो इन्हे अध्ययन अवकाश देय नही होगा

3– उक्त प्रशिक्षण हेतु राज्य सरकार/विभाग द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।

4– प्रशिक्षण समाप्त होने पर कार्मिका तुरन्त विभाग मे अपनी उपस्थिति देगी अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।

5– कार्मिका प्रशिक्षण के उपरान्त किसी भी प्रकार की पदौन्नति/वित्तीय लाभ अथवा उच्च पद वेतनमान की मांग नहीं करेगी ।

6– राजस्थान सेवा नियमों में उल्लेखित प्रावधानों की पूर्ण पालना की जावेगी ।

7– नियमानुसार बन्ध पत्र भरना होगा।

Sd

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–नर्सिग/नर्स–2(F)/आर–57/2018/01 दिनांकः– 01-01-2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संयोजक, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर।
2. चेयरमेन नर्सिंग कौसिंल बोर्ड 2018–19 एवं रजिस्ट्रार राजस्थान नर्सिंग कौसिल जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये जोन, जोधपुर।
4. अधीक्षक, उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर।
5. सम्बन्धित प्रधानाचार्य, नर्सिंग कॉलेज।
6. सम्बन्धित कार्मिका द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान जयपुर